न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

वादी :–

ताराचन्द पुत्र गीदाराम मेघवाल
निवासी दयालपुरा तह. डीडवाना

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गोगाराम पुत्र कानाराम बावरी
2. माधुराम पुत्र मंगाराम बावरी
3. राधेश्याम पुत्र नाथुराम बावरी
   निवासी मंगलाना तह. परबतसर
4. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री चिरंजीलाल अधिवक्ता वादी
श्री देवेन्द्र मालाकार अधिवक्ता प्रतिवादी 1 से 3

मुकदमां नम्बर :–2021/188

निर्णय दिनांक :– 04.01.2022

निर्णय

1. वादी की ओर से अधिवक्ता चिरंजीलाल ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मंगलाना के गत खसरा नम्बर 299 रकबा 0.03 हैक्टयर व खसरा नम्बर 299 मिन रकबा 4.2597 हैक्टयर भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 580 रकबा 0.03 हैक्टयर व खसरा नम्बर 385 रकबा 4.2597 हैक्टयर स्थित है जिसका बंटवरा प्रतिवादीगण किये जाने के पश्चात वर्तमान खसरा नम्बर 585 रकबा 0.9833 हैक्टयर जिस पर वादी व प्रतिवादी 1 से 3 संयुक्त रूप से काबिज है। वादी ने इस भूमि में से 1 बीघा अर्थात 01618 हैक्टयर हिस्सा है, प्रतिवादी 1 का 1414/9833 हिस्सा, प्रतिवादी का 384/9833 हिस्सा एवं प्रतिवादी 3 का 8035/9833 हिस्सा आया हुआ है। वादी द्वारा उक्त भूमि के मूल खातेदार राधेश्याम पुत्र नाथूराम ज़ाति बावरी से रहवासी उपयोग के लिऐ खरीद किया था तथा उससे पूर्व इस भूमि में राधेश्याम द्वारा बाड़ा बना बाड़े के रूप में उपयोग करते आ रहा था। वादी ने राधेश्याम पुत्र नाथूराम से उक्त 1 बीघा अर्थात 0.1618 हैक्टयर भूमि दिनांक 16.04.2010 को जरिये विक्रय पत्र खरीद की है। वादी ने यह भूमि खरीद के बाद हल्का पटवारी एवं तहसीलदार जी को बैचान दस्तावेज की प्रति वादी के नाम नामान्तकरण दर्ज करने हेतु दी थी लेकिन तहसीलदार ने सेटलमेन्ट के कारण खसरा नम्बरो में परिवर्तन होने तथा नये नक्शे में खसरा नम्बर 585, 580 तरमीम नहीं होने से नामान्तकरण दर्ज करने से इन्कार कर दिया। मौके पर वादी व प्रतिवादीगण ने बंटवारा कर अलग अलग काबिज है लेकिन प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकार्ड में बंटवारा करने से इन्कार कर दिया जिससे वादी ने खातेदारी घोषणा व बंटवारे का यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया। वादी ने वाद पेश कर ग्राम मंगलाना के खसरा नम्बर 585 रकबा 0.9833 हैक्टयर में से खरीद सुदा 1 बीघा अर्थात 0.1618 हैक्टयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हिस्से की अलग होल्डिंग बाई मिटस एण्ड बाउण्ड करने की इस्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत दिनांक 10.10.2021 को प्रतिवादीगण के सम्मन तामील आदम तामील प्राप्त नहीं हुए है। तत्पश्चात पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान –2021 कैम्प मंगलाना में दिनांक 28.10.2021 नियत करते हुए उभय पक्षकारो को नोटिस जारी किये गये। प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प मंगलाना में वादी व उसके अधिवक्ता चिरंजीलाल स्वंय तथा प्रतिवादीगण 1 से 3 व उसने अधिवक्ता देवेन्द्र मालाकार ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया है तथा वादी के हिस्से की भूमि की खातेदारी उसके नाम खातेदारी में दर्ज किया जाकर बंटवारा किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है। शिविर में प्रतिवादी 4 ने पत्रावली का अवलोकन कर उसमें राजहित निहित नहीं होने से जबाब पेश नहीं करना चाहे जाने पर जबाब बन्द किया जाकर वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु हिदायत दी जाकर न्यायालय में दिनांक 04.01.2022 तारीख पैशी नियत की गई।

3. वादी की ओर से अधिवक्ता ने पक्षकारो में राजीनामा हो जाने से साक्ष्य पेश नहीं कर बहस सुनी जाकर प्रकरण का निर्णय करने का निवेदन करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर उभय पक्षकारो के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों व बहस पर मनन किया गया। वादी ने वाद के साथ ग्राम मंगलाना की जमाबन्दी सम्वत 2066–69 पेश की है जिसमें वादी के खसरा नम्बर 299 रकबा 26–10 बीघा भूमि की खातेदारी राधेश्याम वल्द नाथू रकबा 6–13 बीघा, सीताराम वल्द बंशीलाल, रामजीवण वल्द नानु रकबा 6–12 बीघा, चूकांदेवी बेवा रामाराम, केदार, मोती पि. रामाराम रकबा 6–12 बीघा, प्रभुराम पुत्र मांगूराम 1–00 बीघा, दुर्गाराम पुत्र भागीरथ 1–04–07 बीघा, रूपादेवी पत्नी प्रहलादराम 1–02–03 बीघा, गणेशराम पुत्र भागीरथ 3–04–03 बीघा सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रभूराम पुत्र मांगूराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 1561 दिनांक 06.10.10 के द्वारा ताराचन्द पुत्र पीथाराम जाति गवारियां सा. मंगलाना के नाम 1–00 बीघा भूमि की खातेदारी दर्ज हुई है। जिसके बाद खातेदारो में इस भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 1585 दिनांक 15.11.2010 के जरिये खसरा नम्बर 299 रकबा 6–13 बीघा भूमि राधेश्याम पुत्र नाथूराम, 299/7 रकबा 6–12 बीघा भूमि चूकादेवी बेवा रामाराम, केदार, मोती पि. रामाराम, 299/6 रकबा 6–12 बीघा सीताराम वल्द बंशीलाल, रामजीवण वल्द नानु, 299/8 रकबा 03–06–10 बीघा गणेशराम पुत्र भागीरथ, खसरा नम्बर 299/9 रकबा 1–04–10 बीघा दुर्गाराम पुत्र भागीरथ, खसरा नम्बर 299/11 रकबा 1–02–13 बीघा भूमि रूपादेवी पत्नी प्रहलादराम, खसरा नम्बर 299/10 रकबा 1–00 बीघा ताराचन्द पुत्र पीथाराम के नाम खातेदारी दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है। वादी ने बैचान दस्तावेज दिनांक 16.04.2010 की छाया प्रति पेश की है जिसके अनुसार ग्राम मंगलाना के खसरा नम्बर 299 रकबा 26–10 बीघा भूमि के खातेदार राधेश्याम पुत्र नाथू की खातेदारी में दर्ज 6–13 बीघा भूमि में से 1–00 बीघा भूमि जरिये विक्रय कय की है, तथा खसरा मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें ग्राम मंगलाना के गत खसरा नम्बर 299/1, 299, 299/5, 299/2, 299/3, 299/4, 299 मीन के नवीन खसरा नम्बर 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585 कायम हुए है,

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

इसके साथ ही जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 पेश की है जिसमें ग्राम मंगलाना के खसरा नम्बर 585 रकबा 0.9833 हैक्टयर भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह साबित होता है कि ग्राम मंगलाना के गत खसरा नम्बर 299 रकबा 26–10 बीघा भूमि में दर्ज खातेदार राधेश्याम पुत्र नाथूराम बावरी के हिस्से की 6–13 बीघा भूमि में से 1–00 बीघा भूमि बैचान दस्तावेज में वर्णित पड़ोस के मध्य की भूमि वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बैचान क्रय की है, जो विधि के अनुसार कृषि उपयोग के लिए प्रर्याप्त भूमि नहीं है, साथ ही वादी स्वंय ने अपने वाद के पेरा संख्या 4 स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि विवादित आराजीयत का पूर्व खातेदार राधेश्याम पुत्र नाथूराम द्वारा बाड़ा बनाकर उपयोग करता आ रहा था। इसी बाड़े की भूमि को वादी ने दिनांक 16.04.2010 को रहवासी उपयोग के लिय खरीद किया था। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2066–69 में अंकित नामान्तकरण नोट 3, 4, 5 तथा नामान्तकरण सख्या 1760, 1614 के अनुसार वादी की क्रय सुदा भूमि के अतिरिक्त भी वर्णित आराजीयत का आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग सन् 2011 से होता आ रहा है। यानि इस विवादित आराजीयत का वादी के खरीद के समय से ही कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं हो रहा है वाद स्वंय ने अपने वाद में बताया है कि खरीद से पूर्व मूल खातेदार राधेश्याम द्वारा इस भूमि का उपयोग एक बाड़े के रूप में किया जा रहा था जिसको वादी ने रहवासीय प्रयोजनार्थ क्रय किया था। विधि के अनुसार रहवासिय प्रयोनार्थ व कृषि के अतिरिक्त किसी भी प्रयोनार्थ के उपयोग उपभोग में आ रही भूमि की खातेदारी घोषणा व बंटवारा करने का अधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः वादी का वाद खातेदारी घोषणा व बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/01/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)